कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

PHONE NO. 6367304312 Email:-cmho-uda-rj@nic.in

क्रमांकः को0हेल्थ0सहा0/NHM/2021/ 4953 दिनांकः– 12–08–2021

आदेश

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प01(चिस्वा)ग्रुप–2/2020 दिनाक 18.05.21 की पालना में जिले में कोविड–19 से उत्पन्न वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना सक्रमण की श्रृंखला को तोडने मरीजो को समुचित उपचार उपलब्ध कराने व मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने एवं जिले में संचालित घर–घर सर्वे एवं दवा वितरण कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिगत रखते हुये कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर लिये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक कोरोना/3018 दिनांक 21.05.2021 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश प01(चिस्वा)ग्रुप–2/2020 दिनांक 07.06.2021 एवं 08.06.2021 के क्रम में इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक कोरोना/2021/3595 दिनाक 11.06.21 के द्वारा कोविड सहायक के पद पर 7900/– प्रतिमाह मानदेय पर क्रमशः योग्य जीएनएम योग्यताधारी एवं एएनएम योग्यताधारी आवेदको के आवेदन आमंत्रित किये गये। निर्देशानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों को वरियता देते हुए पूर्णतयाः मेरिट के आधार पर तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियो को समूचित प्रतिनिधित्व देते हुये चयन समिति द्वारा अस्थायी मेरिट जारी की गयी। दिनाक 23, 24 एवं 26.07.21 को अभ्यर्थियो के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का सत्यापन करवाया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(1)(चिस्वा)ग्रुप–2/2020 दिनांक 30.07.2021 के द्वारा कोविड हेल्थ कन्सलटेंट/कोविड स्वास्थ्य सहायक की नियोजन अवधि जो कि 31.07.2021 को समाप्त हो रही थी को अग्रिम आदेशो तक सेवाये लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है की आप अपने मुल दस्तावेज यथा मुल निवास, विशेष मुल निवास, जाति प्रमाण–पत्र दसवी/बाहरवी की अंकतालिका/जीएनएम/एएनएम की अंकतालिका तथा आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र इत्यादि मुल दस्तावेजों के साथ निम्नानुसार अपनी उपस्थिति प्रातः 10.30 बजे से 3.00 बजे तक स्वास्थ्य भवन बडी उदयपुर में संलग्न सूची के अनुसार देवे। दस्तावेज सत्यापन पश्चात् चयनित अभ्यर्थियो का नियमानुसार अस्थाई रुप से चयन/नियोजन किया जावेगा।

क्र0स	दिनांक	खण्ड का नाम	एएनएम की संख्या	जीएनएम की संख्या	अभ्यर्थियो की कुल संख्या
1	17.08.2021	खैरवाडा	24	68	92
2		कोटडा	2	1	3
3		गोगुन्दा	0	1	1
4		लसाडिया	1	2	3
5	18.08.2021	ऋषभदेव	5	59	64
6		बडगांव	1	10	11
7		झाडोल	3	19	22
8	19.08.2021	सराडा	7	19	26
9		सलूम्बर	10	27	37
10		भीण्डर	2	18	20
11	20.08.2021	उदयपुर शहर	11	52	63
12		गिर्वा	0	13	13
13		मावली	4	23	27

संलग्न– कोविड हेल्थ सहायको की अस्थायी चयन सूची जिनका दस्तावेज सत्यापन किया जाना है (1–382)

नोटः– इसके अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह जिस खण्ड का मूल निवासी है उस खण्ड को आंवटित दिनांक को ही अपनी आपत्ति टीम (डॉ0 विकास मीणा, श्री सुनिल जांगिड, श्री मनिष मेघवाल) को दर्ज करा सकेगा जिस पर चयन समिति द्वारा विचार कर उचित निर्णय किया जाएगा।

(डॉ0 दिनेश खराडी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
उदयपुर (राज0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

PHONE NO. 6367304312 Email:-cmho-uda-rj@nic.in

क्रमांकः को0सहा0/NHM/2021/ 4953 दिनांकः– 12–08–2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान मिशन निदेशक एनएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलक्टर उदयपुर।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोंन उदयपुर।
7. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
8. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर।
9. श्रीमान आयुक्त नगर निगम उदयपुर।
10. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा) उदयपुर।
11. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला उदयपुर।
12. समस्त विकास अधिकारी जिला उदयपुर।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबन्धक कार्यालय हाजा उदयपुर।
14. संबंधित को पालनार्थ।
15. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 दिनेश खराड़ी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
उदयपुर (राज0)